फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुरेशचन्द्र **विपक्षी : श्री किशनलाल**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 239/15**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 21.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प वीरधोलिया में पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। वादी द्वारा वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हैं। वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में दखलन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादी को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1560 रकबा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले सुनाया गया।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:43:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्री सुरेशचन्द्र पिता लक्ष्मण कुमावत निवासी खरताणा तह. मावली।

...................वादी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता वरदीचन्द लौहार निवासी खरताणा हाल शांति कॉलोनी हॉस्पीटल के पास, कांकरोली तह. मावली।

..............प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 239/15 (वाद) GCMS No. – 2015/00035

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा की आराजी नम्बर 1560 रकबा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 वादी के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.18 19:43:16 IST
Reason: SelfAttested